

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—63/2021 (2021/176) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गंगाराम पिता भज्जा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोपीलाल पिता रूपा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मदन पिता प्रताप सुथार निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लादु पिता सुखदेव गुर्जर निवासी किशनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हजारी पिता नाथु सालवी निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हजारी पिता पेमा सालवी निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 28 में अकिंत आराजी संख्या 101 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 103 रकबा 0.55 है0, आराजी संख्या 104 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 105 रकबा 0.36 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 है0 भूमि अन्य आराजियात स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 31.08.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 10.09.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आसुणा तहसील के अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी



कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 28 में अंकित आराजी संख्या 101 रकबा 0.38 है, आराजी संख्या 103 रकबा 0.55 है, आराजी संख्या 104 रकबा 0.25 है, आराजी संख्या 105 रकबा 0.36 है कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 है भूमि अन्य आराजियात स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Shiv
21.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-63/2021 (2021/176) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गंगाराम पिता भज्जा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गोपीलाल पिता रूपा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मदन पिता प्रताप सुथार निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लादु पिता सुखदेव गुर्जर निवासी किशनपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हजारी पिता नाथु सालवी निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हजारी पिता पेमा सालवी निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 21.10.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काशत की कृषि आराजियात खाता संख्या 28 में अकिंत आराजी संख्या 101 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 103 रकबा 0.55 है0, आराजी संख्या 104 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 105 रकबा 0.36 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.54 है0 भूमि अन्य आरायिजात स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



Sundar Lal Bumboda
21.10.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक पंजीयक
रायपुर जिला भीलवाड़ा